

मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-301/2021-22/ 21 (आप)/मत्स्य/राँची/दिनांक 18.03.2024

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत मो0 51,87,700/-रु0 मात्र (एकावन लाख सतासी हजार सात सौ) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 56 रा0 (वि0) दिनांक 17.03.2026 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 2580 तथा आवंटन सं0 77 आ0 (वि0) दिनांक 17.03.2026 ऑनलाईन आवंटन सं0 5444।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत मो0 51,87,700/-रु0 मात्र (एकावन लाख सतासी हजार सात सौ) रु0 मात्र सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 56 रा0 (वि0) दिनांक 17.03.2026 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 2580 तथा आवंटन सं0 77 आ0 (वि0) दिनांक 17.03.2026 ऑनलाईन आवंटन सं0 5444 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 51.877 लाख (एकावन लाख सतासी हजार सात सौ) रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-27/बी०टी०ई०-11/2024-25/338/बजट दिनांक 28.03.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत निधि का आवंटन:

क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 जीर्णोद्धार	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S44050079662010 544	53S44050079662010 545	
1	2	3	4	5
1	जि0म0पदा0-सह- मु0कार्य0पदा0, राँची	1187700	4000000	5187700
कुल योग:		1187700	4000000	5187700

मो0 एकावन लाख सतासी हजार सात सौ रु0 मात्र।

4. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि सही-सही अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक माह का नियमित लेखा मिलान (Reconciliation) कर त्रुटि का निराकरण कराना संबंधित DDO का दायित्व होगा।

6. आवंटित राशि की व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जाए इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्त नियमावली/बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

7. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका विशेष ध्यान संबंधित DDO द्वारा रखा जाएगा।

9. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है। इस प्रयोजन हेतु अन्य श्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

21/3/2026
18/03/2026

M. J. J.

9

4

11. राशि की निकासी झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाए। तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाये।
12. स्वीकृतादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का अक्षरशः पालन किया जाए।
13. कार्यो का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की वेबसाईट/जिला की वेबसाईट पर पोस्ट किया जाए।
14. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

(अमरेन्द्र कुमार)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-301/2021-22/ 21(आप) /मत्स्य/राँची/दिनांक 18.03.2026
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-301/2021-22/ 21(आप) /मत्स्य/राँची/दिनांक 18.03.2026

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक(सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/301/25-26/2/21

दिनांक - 18-Mar-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 44050079662010544 4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 62 - मत्स्य विपणन योजना 01-मत्स्य विपणन (निर्माण) 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : FISHERIES MARKETING SCHEME (CAPITAL)(0641) Central Scheme : NA	112003	DRNFSH005 JAYANT RANJAN DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 44 - जीर्णोद्धार	1,187,700.00 रुपये ग्यारह लाख सित्तासी हजार सात सौ
2	S 53 44050079662010545 4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 62 - मत्स्य विपणन योजना 01-मत्स्य विपणन (निर्माण) 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : FISHERIES MARKETING SCHEME (CAPITAL)(0641) Central Scheme : NA	112005	DRNFSH005 JAYANT RANJAN DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 45 - निर्माण कार्य	4,000,000.00 रुपये चालीस लाख

योग: रुपये इकावन लाख सित्तासी हजार सात सौ

क्रमिक योग:

(AMARENDRA KUMAR)
DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 62 - मत्स्य विपणन योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S44050079662010544	53S44050079662010545	Total
1	2	3	4	5	जीर्णोद्धार	निर्माण कार्य	8
1	Doranda	DRNFSH005	Jayant Ranjan	Dist.Fish.Off.Cum Ex.Officer	₹11,87,700.00 (112003)	₹40,00,000.00 (112005)	₹51,87,700.00

कुल आवंटित राशि :- ₹51,87,700.00 (bdkou yk[k fIR;klh gtkj lkr lkS) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

21 (अमर)
18/8/2026

(AMARENDRA KUMAR)
DIRECTOR FISHERIES